

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) खण्डा प. चूरु

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

उनवान

इसव

बनाम

राजस्थान - सरकार

दावा बाबत ... गगन कुस्ती U/S S.S.R.T.A.

मुकदमा नम्बर :- 116/2021

निर्णय दिनांक :- 24-11-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24-11-21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

इस वादी स्वीकार किया जाकर यह मुद्दा खत खाता सं. 246 रोही गगन खण्डा प. चूरु में अंकित मुकदमा पुत्र गुर मोहम्मद के स्थान पर इस व पुत्र गुर मोहम्मद दर्प करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार चूरु उपखण्डा अनुसार राजस्थान सिविल में अग्रत दरामद करें। उपरत गगन कुस्ती के संबंध में प्रथम में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी स्वतंत्र निम्नकारी वादी की रहेगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24-11-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



24/11/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

| वादी | प्रतिवादी | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | रूपया | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस |
| 4.रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | आदेशिका की तामील |
| 6. कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस |
| 7. आदेशिका की तामिल | | |
| जोड़ | | जोड़ |



जमा सं. 1807

24-11-2021